भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3268
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अनुशंसा

3268. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को रोक रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या कॉलेजियम ने पिछले तीन वर्षों में अपनी किसी सिफारिश को दोहराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और ऐसी पुनरावृत्ति पर केंद्र द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या कॉलेजियम ने अनुशंसित नामों को रोक कर रखने के लिए सरकार से कोई औचित्य मांगा है, यदि हां, तो इस तरह के प्रश्न का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का एक नया ज्ञापन तैयार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 28 अक्टूबर 1998 (तीसरा न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकार राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरूआत उच्चतम न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नाम सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाते हैं। तथापि सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

14.12.2018 से 13.12.2021 की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 32 प्रस्तावों को दोहराया है, जिनमें से सरकार ने 9 सिफारिशकर्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और 23 प्रस्ताव सरकार के पास संसाधन के विभिन्न चरणों में हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में 2015 के 13 रिट याचिका (सिविल) पर सुनवाई करते समय प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार के पूरक पर 16.12.2015 को विस्तृत आदेश जारी किया। उक्त आदेश के पैरा 10 में, यह अधिकथित किया गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इसे पूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय करेंगे । प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के पूरक को सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के महासचिव को सचिव (न्याय) के पत्र तारीख 11.07.2017 के माध्यम से सरकार के रुख से अवगत कराया है।

****